संख्या- 53भा0स0/26-2-2014

प्रेषक,

दीनानाथ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊःदिनांक 28 अप्रैल, 2014

विषयः- स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा वृद्ध व्यक्तियों, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग जातियों तथा नशे से प्रभावित व्यक्तियों के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों/योजनाओं की भारत सरकार द्वारा गठित टीम द्वारा निरीक्षण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह अवगत कराना है कि स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा वृद्ध व्यक्तियों, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग जातियों तथा नशे से प्रभावित व्यक्तियों के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए बजट(पैसा) दिया जाता है। इसके लिए भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली से एक टीम निरीक्षण हेतु प्रदेश में आ रही है। यह निरीक्षण दिनांक 29.04.2014 से प्रारम्भ होकर मई, 2014 के मध्य तक चलेगा।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप द्वारा प्रश्नगत टीम को समुचित सहायता यथा सरकारी गेस्ट हाउस में बोर्डिंग/लाजिंग और आवागमन की सुविधाएं प्रदत्त की जाय और यह भी सलाह दी जाती है कि एक ही चक्र में अधिकतम निरीक्षण का कार्य पूर्ण करा लिया जाये जिससे निर्धारित समयान्तर्गत निरीक्षण का कार्य पूर्ण हो जाये।

3- इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप इस निरीक्षण कार्यक्रम की परम गोपनीयता बनाये रखें।

भवदीय,

दीनानाथ
अनु सचिव

पृ0सं0-53भा0स0(1)/26-2-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, समाज कल्याण को संयुक्त सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र सं0-11020/1/2014-SCD-III, 22 अप्रैल, 2014 की छायाप्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को भी उक्तानुसार निर्देशित करने का कष्ट करें तथा समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों के आफिस का दूरभाष, मोबाइल नम्बर, ई-मेलआई0डी0 भारत सरकार को सीधे तत्काल उपलब्ध कराने एवं उसकी प्रति इस अनुभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

दीनानाथ
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in